न्यायालय–सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी(म0प्र0)

Filing No.:B.A. 1147/2024
Registration No.:158/2024
Date of Registration:29-02-2024
CNR:MP3301-001307-2024

गोलू धाकड पुत्र श्री रतनलाल धाकड आयु–20 वर्ष निवासी–गोपाल चक्की के पास लुधावली थाना देहात जिला शिवपुरी (म.प्र.)

...आवेदक।

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली जिला शिवपुरी (म0प्र0)।

......अनावेदक।

पुनश्च–दिनांक 01.03.2024

यह जमानत आवेदन पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश की न्यायालय से विधिवत् निराकरण हेतु प्राप्त।

आवेदक गोलू धाकड की ओर से श्री मनीष कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री मनोज रघुवंशी अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

एफआईआर कमांक	603 / 2023
एफआईआर दर्ज करने की तिथि	दि. 27.08.2023
पुलिस स्टेशन का नाम	पुलिस थाना कोतवाली शिवपुरी
आपराधिक पूर्ववृत्त	थाना देहात का अपराध क्रमांक 30 / 2021 धारा–457, 380 भादवि, थाना कोतवाली का अपराध क. 299 / 2021 धारा–379 भादवि, थाना कोतवाली का अपराध क. 461 / 2021 धारा–49–क आबकारी एक्ट
अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि	दि. 27.08.2023
चार्जशीट दाखिल करने की तिथि	दिनांक 19.10.2023

प्रकरण आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालय से आपराधिक प्रकरण कं. 1062 / 2023 आरक्षी केन्द्र कोतवाली विरूद्ध गोल से संबंधित मूल अभिलेख

प्राप्त।

आवेदक द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 का जमानत आवेदन पत्र मय **शपथ स्वयं अभियुक्त गोलू** द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें यह जमानत का प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी आवेदन किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही निराकृत हुआ है, के संबंध में पेश किया है।

आवेदक के आवेदन में यह आधार लिया है कि थाना कोतवाली द्वारा आवेदक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 603/2023 धारा 49 (क) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आवेदक को दिनांक 27.08.2023 को गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से आवेदक को न्यायिक निरोध में भेज दिया है। आवेदक का धारा 437 द0प्र0सं0 का आवेदन पत्र निरस्त किया जा चुका है। आवेदक निर्दोष हैं उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। वह लगभग 06 माह से अभिरक्षा में है, अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक लुधावली शिवपुरी का स्थाई निवासी होकर उसके भागने व फरार होने की संभावना नहीं है। वह माननीय न्यायालय के समस्त आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करता रहेगा। अतः दर्शित आधार पर आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शिवपुरी द्वारा दिनांक 11.01.2024 को धारा 437 द0प्र0सं0 का आवेदन पत्र निरस्त किये जाने संबंधी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा अपराध धारा 49—क म0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत जहरीली अवैध शराब आवेदक से जप्त हुई है और बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए व अपराध करने की संभावना आरोपी द्वारा गिरफ्तारी पत्रक में भी दर्शित है। अभियुक्त के निर्दोष होने का कोई प्रमाण नहीं है, जमानत पर

छूटकर पुनः अपराध कारित करेगा और साक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है। जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अनुसार थाना कोतवाली के कार्यवाहक प्रधान आरक्षक जयकिशन राणा को दिनांक 27.08.2023 को ग्वालियर वायपास पर जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नीले रंग का जींस व धारीदार नीले रंग की शर्ट पहने नक्षत्र गार्डन के सामने खाली मैदान में अवैध शराब लिए खड़ा है। उक्त सूचना के आधार पर मय स्टॉफ व राहगीर साक्षी के मुखबिर के बताये स्थान नक्षत्र गार्डन के सामने खाली मैदान के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति मुखबिर के बताये हुलिया अनुसार हाथ में एक कट्टी सफेद रंग की लिए खडा दिखा, जो पुलिस को देखकर जाने लगा, जिसमें हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा नाम पूंछने पर उसने अपना नाम गोलू धाकड पुत्र रतनलाल धाकड निवासी लुधावली का होना बताया तथा चैक करने पर कट्टी में हाथ भटटी की बनी कच्ची शराब होना बताया जिसमें तीखी दुर्गन्ध आ रही थी व गंदगी तैर रही थी, उक्त शराब मानव सेवक के लिए हानिकारक व जहरीली होना पाये जाने से तथा अभियुक्त के पास शराब रखने का लायसेंस न होने से अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप0क्रं0 603/2023 धारा 49–ए आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवेदक को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के आधिपत्य से लगभग 04 लीटर हाथ भट्टी की बनी जहरीली शराब पाए जाने का अभियोग है, जिसके संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा आपत्ति ली गई है कि अभियुक्त की निर्दोशिता के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है और अपराध की पुनरावृत्ति के संबंध में भी आक्षेप किया गया है। वर्तमान मामले में आबकारी अधिनियम धारा 49–ए के अधीन अपराध पंजीबद्ध किया

गया है, जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 59ए, के प्रावधान आकर्षित होते हैं, जो निम्नानुसार है–

धारा–59(ए) में यह प्रतिपादित किया गया है कि–

उपधारा–''एक'' धारा–49ए के अधीन दण्डनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अधिनियम या उसे अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करता है और जो धारा–34 की उपधारा–1 के खण्ड ''क'' या खण्ड ''ख'' के अंतर्गत आने वाले अपराध में अभियुक्त है, के संबंध में जहां ऐसे किसी अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 लीटर से अधिक है, किसी भी न्यायालय द्वारा जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।

उपधारा–''दो'' धारा–49ए के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन धारण कर रहा है और जो धारा–34 की उपधारा–1 के खण्ड ''क'' या खण्ड ''ख'' के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है, को जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो, जमानत पर या स्वयं उसके बंधपत्र पर, तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक की लोक अभियोजक को ऐसे निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस मामले में ऐसे आवेदन का अपर लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया जाए तथा जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जब वह जमानत पर हो तब यह संभावना नहीं है कि वह कोई अपराध करेगा।

अतः आवेदक/अभियुक्त को अभियोजन द्वारा असत्य आलिप्त किए जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाले जाने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है,

साथ ही अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से अपराध पंजीबद्ध होने से अपराध की पुनरावृत्ति किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान में अपराध प्रमाणित पाये जाने के आधार पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसे में उसके विरूद्ध अपराध के संबंध में तथ्य प्रमाणित पाते हुए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाना सुदृण आधार पर अभियोजन के लिए अग्रिम कार्यवाही को इंगित करता है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध में दोषी न होने के युक्तियुक्त आधार के विपरीत उपरोक्त तथ्य है साथ ही अभियुक्त के पूर्व आपराधिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपराध की पुनरावृत्ति से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में अधिनियम की धारा 59ए के प्रावधान के प्रकाश में न्यायालय के समक्ष कोई युक्तियुक्त आधार ना होने से आवेदक/अभियुक्त को नियमित जमानत पर उन्मुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आबकारी अधिनियम की धारा 59ए में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के प्रकाश में गुणदोष पर प्रभाव डाले बिना अभियुक्त/आवेदक **गोलू धाकड** की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. विचारोपरान्त **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जावे।

आदेश सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित हो।

(ए0के0 गुप्ता)
सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी (म.प्र.)

प्रतिलिपि–

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालय की ओर आपराधिक प्रकरण क्रं. 1062/2023 आरक्षी केन्द्र कोतवाली विरूद्ध गोलू सहित सूचनार्थ प्रेषित।